[2018] 4 एस. सी. आर. 612

सुधाकर @सुदर्शन

वी.

राज्य प्रतिनिधि। पुलिस निरीक्षक द्वारा, श्रीरंगम

पुलिस स्टेशन, ट्रिची, तमिल नाडु

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 381)

12 मार्च, 2018

[एन. वी. रमना और एस. अब्दुल नजीर, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860 - s.302-अभियोजन मामला कि अपीलार्थी को अपनी दादी की गर्दन का अपने हाथों से गला घोंटते हुए पाया गया था-पी. डब्ल्यू.-1 (मृतक का दामाद), जो बगल के कमरे में सो रहा था, मृतक की चिल्लाहट सुनकर उसके पास पहुंचा और

अपराध होते हुए देखा-अपीलार्थी ने तब पैसे ले लिए

गिरफ्तारी और अभियुक्त के कब्जे से भौतिक वस्तुओं की जब्ती के समय उनकी उपस्थिति के बारे में कहानी और वे शत्रुतापूर्ण हो गए अभियोजन का मामला पीडब्लू 1 और उसकी पत्नी (पीडब्लू 5) के साक्ष्यों पर आधारित था, जो अभियुक्त-अपीलार्थी से निकट संबंध रखते थे-अभियुक्त-अपीलार्थी और पीडब्लू 1 और 5 के बीच संबंध तनावपूर्ण थे।

संपत्ति के मुद्दे और वे शत्रुतापूर्ण शब्दों में थे-चूंकि अभियोजन पक्ष ने इच्छुक गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा किया है, इसलिए न्यायालय को ऐसे साक्ष्यों का विश्लेषण करते समय सावधानी बरतनी होगी।

गवाहों, अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह नहीं थे-पीडब्लू 1 और 5 के संस्करण का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं-यह रिकॉर्ड में था कि जब मृतक को अस्पताल लाया गया था, तो दुर्घटना रजिस्टर में इसे गिरने के इतिहास के रूप में लिखा गया था '-अभियोजन पक्ष के अनुसार मृतक के मुंह और नाक से खून निकला, लेकिन मृतक के खून से सने कपड़ों की कोई जब्ती और रासायनिक विश्लेषण नहीं दिखाई देता है-कथित चश्मदीद गवाहों के साथ-साथ जांच एजेंसी द्वारा साक्ष्य में विसंगति थी।

612 सुधाकर @सुदर्शन बनाम। राज्य प्रतिनिधि। आई. एन. एस. पी. द्वारा पुलिस का

विरोधाभासों से ग्रस्त, झूठे अभियोजन के लिए अच्छा मकसद और

संदिग्ध परिस्थितियों से भरा हुआ।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

2. मान लीजिए, कथित घटना के समय, पीडब्लू 5 (पीडब्लू 1 की पत्नी) और पीडब्लू 6 (पीडब्लू 1 और 5 का बेटा) अपराध के कथित स्थल के पास मौजूद नहीं थे। जहाँ तक स्वतंत्र गवाहों (पीडब्लू 2,3 और 4) के साक्ष्यों का संबंध है, जो मृतक के समान सड़क के निवासी थे और जिनसे नेत्रहीन के रूप में पूछताछ की गई थी। गवाह, पीडब्लू 2 (पीडब्लू 5 का किरायेदार) मुकर गया और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। अभियोजन पक्ष के मामले में एक और कमी यह है कि पीडब्लू1 ने बयान दिया कि उसने पुलिस को मौखिक शिकायत दी थी, लेकिन पीडब्लू15-आई. ओ. द्वारा इसके विपरीत बयान दिया गया था। बताते हुए

कि उन्हें पीडब्लू1 से एक लिखित शिकायत मिली। [पैरा 15] [619-सी-डी, जी] 3.1 कथित तथ्यों से यह पता चलता है कि पूरा अभियोजन मामला पीडब्लू 1 और 5 के साक्ष्यों पर आधारित है जो अभियुक्त-अपीलार्थी से निकटता से संबंधित हैं। आरोपी कोई और नहीं बल्कि पीडब्लू 5 के भाई का बेटा है और पीडब्लू 1 पीडब्लू 5 का पति है और पीडब्लू 6 पीडब्लू 1 और पीडब्लू 1 का बेटा है। 5. स्पष्ट रूप से, अभियुक्त-अपीलार्थी और पीडब्लू 1 और 5 के बीच संबंध संपत्ति के मुद्दों पर तनावपूर्ण थे और वे शत्रुतापूर्ण शब्दों में थे। जाहिरा तौर पर, संपत्तियों के विभाजन के लिए उनके बीच एक दीवानी मुकदमा भी लंबित था। [पैरा 16] [619-एच; 620-ए-बी]

3.2 यह तय कानून है कि कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं हो सकता है कि इच्छुक गवाह के साक्ष्य को शामिल नहीं किया जा सकता है।

विचार और उन्हें गवाह नहीं कहा जा सकता है। लेकिन, उन मामलों में अदालतों पर एकमात्र बोझ [2018] 4 एस. सी. आर. होगा।

कि न्यायालयों को साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय सावधान रहना होगा ताकि गलत निहितार्थ की संभावना को बाहर रखा जा सके। संबंध कभी भी गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता है क्योंकि स्वतंत्र गवाह प्राप्त करना हमेशा संभव नहीं होता है। [पैरा 17] [620-ई]

3.3 फिर, अगला सवाल आता है 'एक संबंधित गवाह और एक इच्छुक गवाह में क्या अंतर है?' . याचिका "इच्छुक गवाह", "संबंधित गवाह" को इस न्यायालय द्वारा संक्षिप्त रूप से समझाया गया है कि "संबंधित" "इच्छुक" के बराबर नहीं है। गवाह को केवल तभी "इच्छुक" कहा जा सकता है जब उसे मुकदमे के परिणाम से कुछ लाभ प्राप्त हो।

दीवानी मामले में डिक्री, या किसी अभियुक्त व्यक्ति को दंडित होते देखने में। इस मामले में पीडब्लू 1 और 5 न केवल संबंधित गवाह थे, बल्कि इच्छुक गवाह भी थे क्योंकि उनका आरोपी याचिकाकर्ता को दंडित करने में आर्थिक हित था। चूँकि अभियोजन पक्ष ने इच्छुक गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा किया है, इसलिए इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसे साक्ष्य का विश्लेषण करते समय सतर्क रहना विवेकपूर्ण होगा। इन गवाहों के अलावा, अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं हैं। [पैरा 18] [620-एफ-एच]

4. पीडब्लू 1 और 5 के संस्करण का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है जो पहले के अवसरों पर भी और विशेष रूप से तारीख पर था।

घटना के बाद, आरोपी ने अपनी दादी से पैसे की मांग की और अपने पक्ष में घर बसाने के लिए झगड़ा किया। इसके अलावा, यह रिकॉर्ड में है कि जब मृतक को अस्पताल लाया गया था, दुर्घटना रजिस्टर में इसे 'गिरने का इतिहास' के रूप में लिखा गया था। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मृतक के मुंह और नाक से खून निकला, लेकिन मृतक के खून से सने कपड़ों और रासायनिक विश्लेषण की कोई बरामदगी नहीं हुई है। इस प्रकार, कथित चश्मदीद गवाहों के साथ-साथ जांच एजेंसी द्वारा असंगत साक्ष्य उस इमारत को नुकसान पहुंचाएंगे जिस पर अभियोजन पक्ष का मामला बनाया गया है, और यह अभियोजन पक्ष के मामले के आधार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। [पैरा 19] [621-ए-सी]

5. इस मामले में उचित संदेह है क्योंकि अभियोजन का मामला स्वतंत्र गवाहों द्वारा समर्थित नहीं है। विरोधाभासों के साथ, झूठे अभियोजन के लिए अच्छा उद्देश्य और संदिग्ध परिस्थितियों से भरा हुआ। इसके अलावा, न केवल साक्ष्य की अपर्याप्तता है, बल्कि सुधाकर @सुदर्शन बनाम पर विश्वसनीयता की भी कमी है।

राज्य प्रतिनिधि। आई. एन. एस. पी. द्वारा पुलिस का

पीडब्लू 1 और 5 की विश्वसनीयता जिसकी परिणति अभियोजन मामले को गलत साबित करने और अभियुक्त के कथित अपराध में हुई। इसलिए अभियोजन पक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करके अभियुक्त-अपीलार्थी के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करने में विफल रहा है। [पैरा 22] [622-बी-सी]

यू. पी. राज्य बनाम किशनपाल और ओआरएस। (2008) 16 एससीसी 73: [2008] 11 एस. सी. आर. 1048; लतेश बनाम। महाराष्ट्र राज्य

2018 (3) एस. सी. सी. 66-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(1976) 4 एस. सी. सी. 369

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

[2008] 11 एससीआर 1048

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

(2018) 3 एससीसी 66

पै

रा 21

संदर्भित किया गया है

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

381 2018 से।

विवादित निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 23.01.2015 से

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा आपराधिक अपील सं। 2013 का (एम. डी.) No.298।

थॉमस फ्रैंकलिन सीज़र, एस. गौतममन, सुश्री एम. वेनमानी,

सुश्री एस. अमाली, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

एम. योगेश कन्ना, सुश्री सुजाता बागड़ी, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एन. वी. रमना, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

आरडी

2. 23 तारीख के फैसले के खिलाफ यह अपील दायर की गई है।

जनवरी, 2015 को मद्रास उच्च न्यायालय, मदुरै की पीठ ने 2013 की आपराधिक अपील (एम. डी.) संख्या 298 में पारित किया, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले से सहमति व्यक्त की और अपीलकर्ता-अभियुक्त द्वारा आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया।

3. अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं -

कि इसमें अपीलार्थी एक आदतन शराबी है और अपनी दादी के घर के सामने रहता था और हमेशा पैसे की मांग को लेकर उसके साथ झगड़ा करता था। यह घटना 17 जनवरी, 2013 को शाम 6:30 बजे हुई थी। अपीलार्थी को अपनी दादी, मरियाई (मृत) की गर्दन का अपने हाथों से गला घोंटते हुए पाया गया।

जयराज-पीडब्लू1 (मृतक का दामाद), जो बगल के कमरे में सो रहा था, मृतक की चीख सुनकर उसके पास पहुंचा। और आरोपी द्वारा अपनी दादी पर किए जा रहे अपराध को देखा। इसके बाद अपीलार्थी मृतक के कब्जे से सुरुकुपाई (पैसे का थैला) ले गया और मौके से भाग गया।

4. जयराज (पीडब्लू 1) ने फिर एक ऑटो किराए पर लिया और अपनी सास को ले गया।

ए. बी. सी. अस्पताल में फोन पर अपनी पत्नी मरुथयी (पी. डब्ल्यू. 5) को घटना की जानकारी देते हुए, पी. डब्ल्यू. 5 भी अस्पताल पहुंचा। रोगी को शाम 7:30 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉ. मोहम्मद गौस खान (पीडब्लू8) ने उसकी जांच की और पाया कि वह होश में थी लेकिन बेचैन थी। हालाँकि, मरियायी का शाम 7.55 बजे निधन हो गया था।

श्रीरंगम पुलिस स्टेशन में लगभग 11.30 शाम को शिकायत दर्ज की गई और उसी के आधार पर, अपीलार्थी के खिलाफ 2013 का अपराध संख्या 22 दर्ज किया गया था। पीडब्लू15-पुलिस निरीक्षक (बालुसामी) ने एफ. आई. आर. (Ext.P12) अदालत को भेजी और घटना स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद अन्य औपचारिकताएँ जैसे कि अवलोकन मजार की तैयारी (विस्तार। पी2), रफ स्केच का ड्राइंग (एक्स्ट। पी13), जाँच चल रही थी और मृतक के शरीर को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया था। इस बीच,

अभियुक्त-अपीलार्थी को हिरासत में ले लिया गया और उसका बयान दर्ज करने के बाद

इकबालिया बयान में, पुलिस ने उसके कब्जे (एम. ओ. 1) से सुरुकुपाई (पैसे का थैला) बरामद किया।

5. मृतक मरियायी के शव का पोस्टमार्टम किया गया

डॉ. आर. वी. एस. रेनुगा देवी (पीडब्लू 9) द्वारा आयोजित किया गया, जिन्होंने गर्दन के सामने की ओर अलग-अलग लंबाई और संदूषण के रैखिक घर्षण, थायराइड उपास्थि और श्वासनली के छल्लों का फ्रैक्चर, छाती की पूर्ववर्ती दीवार पर चोट, छाती का फ्रैक्चर पाया।

टी.

बाएं कॉलर की हड्डी और मैन्युब्रियम स्टेमी 4 टी. एम. रिब अटैचमेंट के स्तर पर आसपास के क्षेत्र में चोट लगने के साथ अनुप्रस्थ रूप से होते हैं। डॉक्टर ने अपनी राय व्यक्त की कि ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक की मृत्यु गर्दन और छाती के घाव के दबाव से हुई है।

6. अपीलार्थी-अभियुक्त ने अपराध करने के आरोप से इनकार किया

अपराध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया। अभियुक्त के अपराध को घर लाने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों से पूछताछ की है और 16 गवाहों को चिह्नित किया है। जबकि, अभियुक्त ने अपने बचाव में अपनी सास माला से डी. डब्ल्यू. 1 के रूप में पूछताछ की और किसी भी दस्तावेज को चिह्नित नहीं

किया। हालाँकि दो भौतिक वस्तुएँ थीं, एक सुरुकुपाई (पैसे का थैला) और दूसरी Rs.140/- की राशि है, दोनों को कथित तौर पर आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया है।

सुधाकर @सुदर्शन बनाम। राज्य प्रतिनिधि। आई. एन. एस. पी. द्वारा पुलिस विभाग [एन. वी. रमना, जे.]

7. अभियोजन पक्ष के गवाहों, विशेष रूप से पीडब्लू 1 और 5 के साक्ष्यों पर भरोसा करते हुए निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अक्सर आरोपी अपनी मांगों को पूरा करने के लिए मृतक के साथ झगड़ा करता था

धन और अपराध करने का उद्देश्य था। इसके बाद आरोपी मृतक के घर आया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।

गर्दन और फिर उसे नीचे धकेल दिया, इसलिए मृतक को दम घुटने लगा और उसकी छाती की दीवार और पसलियों पर चोटें आईं। इसने आगे कहा कि रिकॉर्ड पर चिकित्सा साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि मृतक की मृत्यु के कारण हुई थी

गर्दन और छाती के घावों का संपीड़न। इसलिए, विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि गवाहों के साक्ष्य में मामूली विरोधाभास अभियोजन मामले को प्रभावित नहीं करेंगे और अपीलार्थी-अभियुक्त हत्या के अपराध का दोषी था। निचली अदालत ने तदनुसार आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास और 1,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, अन्यथा छह महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतना होगा। 8. पीड़ित अपीलार्थी ने अपील में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसे इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया कि विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा दंडात्मक प्रावधानों के अनुरूप है और किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है। इसलिए, अभियुक्त इस अपील के माध्यम से हमारे सामने है।

9. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है और इस पर विचार किया है

अभिलेख पर सामग्री।

10. अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील ने दृढ़ता से तर्क दिया कि निचली अदालतों ने अपीलार्थी को दोषी ठहराने में गलती की है, भले ही अभियोजन पक्ष का मामला सामग्री से भरा हुआ था।

गवाहों द्वारा अनियमितताएँ और असंगत बयान। वकील ने बताया कि निचली अदालतों ने अपीलार्थी के बचाव के दावे पर अविश्वास करते हुए स्पष्ट त्रुटि की कि प्रासंगिक समय पर आरोपी अपनी दादी के घर पर नहीं था, बल्कि वह अपनी सास के घर में था और पुलिस उसे रात 11 बजे पूछताछ के लिए ले गई। वकील ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने उद्देश्य भाग को भी सफलतापूर्वक स्थापित नहीं किया है। लेकिन निचली अदालतों ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के अतिरंजित संस्करणों पर आधार बनाया और अपीलार्थी को दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष के सभी गवाह, विशेष रूप से पीडब्लू 1 और पीडब्लू 5, इच्छुक गवाह हैं क्योंकि उन्होंने संपत्तियों के बंटवारे के संबंध में अपीलार्थी के परिवार के प्रति दुर्भावना विकसित की थी और वे उससे छुटकारा पाना चाहते हैं क्योंकि वे अपीलार्थी की संपत्ति हड़पने का इरादा रखते हैं।

8] 4 एस. सी. आर. के साथ

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. आगे यह तर्क दिया गया कि कथित अपराध का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था और इसके लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं था। एक्स्ट के तहत शिकायत दर्ज करने में देरी। पी. 1 और न्यायिक मजिस्ट्रेट तक एफ. आई. आर. पहुँचने में देरी। पीडब्लू 2,3,4, जिन्हें प्रत्यक्षदर्शी कहा गया था, ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया। यह भी दावा किया जाता है

सांस फूलना, उक्त कथन को दुर्घटना रजिस्टर (अतिरिक्त) के साथ विधिवत प्रमाणित किया जाता है। पी3) जहाँ इसका उल्लेख 'पतन का इतिहास' के रूप में किया गया है। लेकिन बाद में अदालत के समक्ष, पीडब्लू5 ने ऐसा कहने से इनकार कर दिया और अपने बयान में सुधार किया जिससे अपीलार्थी अपराध में फंस गया। अधिक दबाव डाला गया है इस पहलू पर कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के शरीर पर पसली और बाएं कॉलर की हड्डी के साथ-साथ फ्रैक्चर थे

मैन्यूब्यूरियम स्टर्नी, जो गला घोंटने के मामले का समर्थन नहीं करता है, लेकिन गिरने के मामले का समर्थन करता है जैसा कि पी. डब्ल्यू. 5 ने डॉक्टर को बताया है। उसका समापन करते हुए

विद्वान वकील ने तर्क देते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के मामले में सभी विसंगतियों के बावजूद, निचली अदालतें आगे बढ़ीं और अपीलार्थी को दोषी ठहराया और निर्णय इस अदालत द्वारा रद्द किए जाने के योग्य है।

12. अपनी दलीलों को आगे बढ़ाते हुए, राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा कोई मामला नहीं बनाया गया है। इस न्यायालय का हस्तक्षेप जबकि नीचे के दोनों न्यायालयों ने उन्हें समवर्ती रूप से दोषी पाया। उनके अनुसार, आरोपी आदतन शराबी होने के कारण अक्सर अपनी दादी (मृतक) के साथ पैसे और संपत्ति के हस्तांतरण के लिए झगड़ा करता था। घटना के दिन भी, आरोपी ने मृतक के साथ सुबह लगभग 11 बजे झगड़ा किया और पीडब्लू1 ने उसे शांति से दूर भेज दिया। लेकिन शाम को, जब पीडब्लू1 घर में सो रहा था, तो आरोपी ने फिर से प्रवेश किया और अपराध किया। निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने पी. डब्ल्यू. 1 के सुसंगत और स्पष्ट साक्ष्य पर सही ढंग से भरोसा किया था, जो घटना के चश्मदीद गवाह थे, चिकित्सा साक्ष्य की पुष्टि के साथ, और एक तर्कपूर्ण आदेश के माध्यम से, आरोपी को दोषी ठहराया। सुरुकुपाई (पैसे की थैली) की बरामदगी

अभियुक्त के कब्जे से आयोग की पुष्टि होती है अपराध और अभियोजन का मामला। यद्यपि अभियुक्त ने डी. डब्ल्यू. 1 के माध्यम से बहाना का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन बचाव पक्ष अपने प्रयास में सफल नहीं हो सका और उन्होंने सुधाकर @सुदर्शन बनाम को एक भी प्रश्न या सुझाव नहीं दिया।

राज्य प्रतिनिधि। आई. एन. एस. पी. द्वारा पुलिस विभाग [एन. वी. रमना, जे.]

जांच अधिकारी यह पता लगाने के अपने प्रयास में कि आरोपी को पुलिस ने डी. डब्ल्यू. 1 के घर से उठाया था और अभियोजन पक्ष के मामले को गलत साबित करने के लिए कि आरोपी को बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया था।

13. दोनों पक्षों की ओर से की गई दलीलों के आलोक में मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को देखने के बाद, जो मुद्दा विचार के लिए आता है वह यह है कि "क्या नीचे दिए गए दोनों न्यायालय आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने में सही थे।"

14. अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए नीचे दिए गए न्यायालयों का पूरा आधार अभियोजन पक्ष का यह कथन प्रतीत होता है कि अभियुक्त को 18.1 को गिरफ्तार किया गया था। 2013 सुबह लगभग 11 बजे बस स्टैंड पर पीडब्लू 11 और 12 की उपस्थिति में, और डीडब्ल्यू 1 के साक्ष्य द्वारा उचित समर्थन के साथ आरोपी द्वारा प्रस्तुत बहाना की याचिका को खारिज कर दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि इन दोनों गवाहों (पीडब्लू 11 और 12) ने अपनी जाँच में मुख्य रूप से गिरफ्तारी और अभियुक्त के कब्जे से भौतिक वस्तुओं की जब्ती के समय अपनी उपस्थिति के बारे में अभियोजन पक्ष की कहानी से इनकार किया और वे मुकर गए। यह तथ्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के बारे में अभियोजन पक्ष की कहानी की सच्चाई पर गंभीर संदेह पैदा करता है।

15. मान लीजिए कि कथित घटना के समय पीडब्लू 5 (पीडब्लू 1 की पत्नी) और पीडब्लू 6 (पीडब्लू 1 और 5 का बेटा) कथित घटना के पास मौजूद नहीं थे।

अपराध का दृश्य। जहाँ तक स्वतंत्र गवाहों (पीडब्लू 2,3 और 4) के साक्ष्यों का संबंध है, जो मृतक के साथ एक ही सड़क के निवासी थे और जिनसे प्रत्यक्ष गवाहों के रूप में पूछताछ की गई थी, पीडब्लू 2 (पीडब्लू 5 का किरायेदार) मुकर गया और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। उन्होंने

आई. डी. 1 को शाम 7 बजे जब उसने मृतक के घर के सामने कुछ भीड़ देखी तो वह वहाँ पहुँचा और मृतक को बेहोशी की हालत में पाया। फिर, वह पीडब्लू 3 और 4 के साथ मृतक को श्रीरंगम सरकारी अस्पताल ले गया और पीडब्लूएस 1 और 5 को इसकी सूचना दी, उन्होंने उन्हें मृतक को एबीसी अस्पताल लाने के लिए कहा जहां पीडब्लू 1 और 5 बाद में उनके साथ शामिल हो गए। अपनी जिरह में उन्होंने कहा कि पीडब्लू 1 घटना की तारीख को श्रीरंगम में मौजूद नहीं था। पीडब्लू 3 और 4 भी शत्रुतापूर्ण हो गए और उनके द्वारा भी इसी तरह के बयान दिए गए। अभियोजन पक्ष के मामले में एक और कमी यह है कि पीडब्लू1 ने बयान दिया कि उसने पुलिस को मौखिक शिकायत दी थी, लेकिन पीडब्लू15-आई. ओ. द्वारा इसके विपरीत बयान दिया गया था। यह कहते हुए कि उन्हें पीडब्लू1 से एक लिखित शिकायत मिली है।

16. उपरोक्त तथ्यों से यह पता चलता है कि

अभियोजन पक्ष का मामला पीडब्लू 1 और 5 के साक्ष्यों पर आधारित है जो करीब से [2018] 4 एस. सी. आर. हैं।

अभियुक्त से संबंधित-अपीलार्थी। आरोपी कोई और नहीं बल्कि पीडब्लू 5 के भाई का बेटा है और पीडब्लू 1 पीडब्लू 5 का पति है और पीडब्लू 6 पीडब्लू 1 और पीडब्लू 1 का बेटा है। 5. स्पष्ट रूप से, अभियुक्त-अपीलार्थी और पीडब्लूएस 1 और 5 के बीच संबंध संपत्ति के मुद्दों पर तनावपूर्ण थे और वे शत्रुतापूर्ण शब्दों में थे। जाहिरा तौर पर, संपत्तियों के विभाजन के लिए उनके बीच एक दीवानी मुकदमा भी लंबित था।

17. संबंधित और इच्छुक गवाहों के साक्ष्य के संबंध में कानूनी स्थिति पर एक नज़र डालना उचित होगा। में।

सरवन सिंह बनाम। पंजाब राज्य, (1976 (4) एस. सी. सी. 369), पैरा 10, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

..... इच्छुक गवाह के साक्ष्य में कोई कमजोरी नहीं होती है, लेकिन अदालतें विवेक के नियम के रूप में, न कि कानून के नियम के रूप में, यह माँग करती हैं कि ऐसे गवाहों के साक्ष्य की थोड़ी सावधानी के साथ जांच की जानी चाहिए। एक बार जब वह दृष्टिकोण बना लिया जाता है और न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि इच्छुक गवाहों के साक्ष्य में सच्चाई का एक घेरा होता है, तो ऐसे साक्ष्य पर विश्वास किए बिना भी भरोसा किया जा सकता है।

पुष्टि "।

यह तय कानून है कि कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं हो सकता है कि इच्छुक गवाह के साक्ष्य को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। और उन्हें गवाह नहीं कहा जा सकता है। लेकिन, उन मामलों में न्यायालयों पर केवल एक ही बोझ डाला जाएगा कि न्यायालयों को गलत निहितार्थ की संभावना को बाहर करने के लिए साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय सतर्क रहना होगा। संबंध कभी भी गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता है क्योंकि स्वतंत्र गवाह प्राप्त करना हमेशा संभव नहीं होता है।

18. फिर, अगला सवाल आता है 'एक संबंधित गवाह और एक इच्छुक गवाह में क्या अंतर है?' . "रुचि रखने" की याचिका

गवाह "," संबंधित गवाह "को इस न्यायालय द्वारा संक्षिप्त रूप से समझाया गया है कि" संबंधित "" रुचि रखने वाले "के बराबर नहीं है। गवाह को केवल तभी "इच्छुक" कहा जा सकता है जब वह किसी दीवानी मामले में डिक्री में मुकदमे के परिणाम से या किसी आरोपी व्यक्ति को दंडित होते देखने से कुछ लाभ प्राप्त करता है। इस मामले में पीडब्लू 1 और 5 न केवल संबंधित गवाह थे, बल्कि इच्छुक गवाह भी थे क्योंकि उनका आरोपी याचिकाकर्ता को दंडित करने में आर्थिक हित था। [यू. पी. बनाम राज्य का संदर्भ लें। किशनपाल और ओआरएस। , (2008) 16 एससीसी 73]। चूँकि अभियोजन पक्ष ने इच्छुक गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा किया है, इसलिए इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसे साक्ष्य का विश्लेषण करते समय सतर्क रहना विवेकपूर्ण होगा। यह हो सकता है

यह उल्लेख किया कि इन गवाहों के अलावा, अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं हैं।

सुधाकर @सुदर्शन बनाम। राज्य प्रतिनिधि। आई. एन. एस. पी. द्वारा पुलिस विभाग [एन. वी. रमना, जे.]

19. अब, यह विचार करना उचित होगा कि क्या नीचे दिए गए न्यायालयों ने पीडब्लू1 के साक्ष्य का मूल्यांकन करने में न्यायिक विवेक का प्रयोग किया है।

कई बार और विशेष रूप से घटना की तारीख को, आरोपी ने अपनी दादी से पैसे की मांग की और घर को उसके पक्ष में निपटाने के लिए झगड़ा किया। इसके अलावा, यह रिकॉर्ड में है कि जब मृतक को अस्पताल लाया गया था, तो दुर्घटना रजिस्टर में इसे 'गिरने का इतिहास' के रूप में लिखा गया था। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मृतक के मुंह और नाक से खून निकला, लेकिन मृतक के खून से सने कपड़ों और रासायनिक विश्लेषण की कोई बरामदगी नहीं हुई है। इस प्रकार, कथित चश्मदीद गवाहों के साथ-साथ जांच एजेंसी द्वारा असंगत साक्ष्य यह उस इमारत को नुकसान पहुँचाएगा जिस पर अभियोजन पक्ष का मामला बनाया गया है और यह अभियोजन पक्ष के मामले के आधार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

20. हम आगे, कुछ हद तक, अभियोजन मामले में भौतिक दुर्बलताओं, अनियमितताओं और विरोधाभासों को भी पाते हैं।

पीडब्लू 1 और 5 के बयान सहित अभियोजन पक्ष के गवाहों का साक्ष्य, जो भौतिक गवाह हैं। पीडब्लू 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा कि उसकी पत्नी (पीडब्लू 5) ने आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ विभाजन का मुकदमा दायर किया है, जबकि पीडब्लू 5 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इनकार कर दिया है।

एक ही। इसी तरह, गवाहों के विरोधाभासी बयान हैं, मुख्य रूप से घटना के होने के पहलू, पीड़ित को अस्पताल ले जाना, कथित घटना के समय पीडब्लू1 की उपस्थिति, आरोपी को बस स्टैंड से या उसकी सास के घर से हिरासत में लेना, वसूली।

अभियुक्त के कब्जे से भौतिक वस्तुओं और पीडब्लू1 आदि द्वारा शिकायत दर्ज करना और पूरी कहानी पूरी तरह से अविश्वसनीय प्रतीत होती है। इसके अलावा, बचाव पक्ष द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर अभियोजन पक्ष की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि पीड़ित के साथ एबीसी अस्पताल पहुंचने के तुरंत बाद, पीडब्लू 1 और 5 सीधे डॉ. मोहम्मद गौस खान (पीडब्लू 8) से संपर्क किए बिना कैसे संपर्क कर सकते हैं। आपातकालीन वार्ड और ए. बी. सी. अस्पताल के डॉक्टरों ने पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया जब यह एक मेडिको कानूनी मामला था। नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने केवल यह नोट किया है कि भिन्नताएं और विरोधाभासी बयान अभियुक्त के अपराध को साबित करने में महत्वपूर्ण नहीं हैं। हम महसूस करते हैं कि नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा दिया गया तर्क प्रत्यक्ष रूप से अवैध है।

21. लातेश बनाम महाराष्ट्र राज्य में यह न्यायालय [आपराधिक अपील]

2015 की सं. 1301,30 जनवरी, 2018 को तय की गई] ने समझाया है कि अत्यधिक सावधानी [2018] 4 एस. सी. आर. के बीच एक साधन के रूप में स्पष्ट तरीके से उचित संदेह।

और संदेह के प्रति अत्यधिक उदासीनता। इसके अलावा, यह समझाया गया है कि उचित संदेह एक व्यावहारिक होना चाहिए न कि एक भ्रम। परिकल्पना।

स्वतंत्र गवाहों द्वारा समर्थित, विरोधाभासों से भरा हुआ, झूठे अभियोजन के लिए अच्छा उद्देश्य और संदिग्ध परिस्थितियों से भरा हुआ। इसके अलावा हमारा मानना है कि केवल साक्ष्य की अपर्याप्तता लेकिन पीडब्लू 1 और 5 की विश्वसनीयता पर भी विश्वसनीयता की कमी, जिसकी परिणति अभियोजन मामले को गलत साबित करने में हुई

और अभियुक्त का कथित अपराध। इसलिए अभियोजन पक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करके अभियुक्त-अपीलार्थी के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करने में विफल रहा है। हम संतुष्ट हैं कि निम्नलिखित न्यायालय

23. नतीजतन, अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले को खारिज कर दिया जाता है। अपीलार्थी को जेल में बताया गया है। उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा जब तक कि किसी अन्य मामले में इसकी आवश्यकता न हो। लंबित है। आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाएगा।

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान